संख्या– /xxiv (7)50(2)/2008

(55)

प्रेषक,

उत्पल कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा,
हल्द्वानी,नैनीताल।

शिक्षा अनुभाग–7(उच्च शिक्षा) देहरादून दिनांक 02 जनवरी 2012

विषयः– वित्तीय वर्ष 2011–2012 में राजकीय महाविद्यालय कर्णप्रयाग (चमोली) के विज्ञान भवन निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 1500/xxiv (7)50(2)/2008 दिनांक 08.09.2011 एवं आपके पत्र संख्या डिग्री विकास/13287/2011–12 दिनांक 08.12.2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में राजकीय महाविद्यालय कर्णप्रयाग जनपद चमोली के विज्ञान भवन के निर्माण हेतु अनुमोदित रु0 200.75 लाख की धनराशि के सापेक्ष अवशेष रु0 40.75 लाख के विरूद्ध रू0 20.75 लाख (रु0 बीस लाख पिचहत्तर हजार मात्र) की धनराशि के व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– स्वीकृत धनराशि को उपरोक्त कार्य के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य में व्यय नहीं किया जायेगा तथा अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति की प्रत्याशा में कोई अन्य व्यय नहीं किया जायेगा एवं समय–समय पर निर्गत वित्तीय एवं मित्तव्ययता सम्बन्धी नियमों एवं दिशा निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का आहरण निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा करने के उपरान्त सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि धनराशि अनावश्यक रुप से बैंकों में पार्किंग के रुप में न रखी जाय।

3– स्वीकृत धनराशि के उपयोग के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत समस्त शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा निर्माण कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को अवगत कराया जायेगा। निर्माण कार्य के लिये अवमुक्त की गई धनराशि का उपभोग तथा कार्य को इसी वित्तीय वर्ष में शीघ्रता से पूर्ण करने के लिये प्राचार्य द्वारा समुचित पर्यवेक्षण तथा कार्य की प्रगति की निदेशक द्वारा समीक्षा की जायेगी। निर्माण इकाई द्वारा विलम्ब करने की दशा में शासन द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। विलम्ब की दशा में आगणन पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जायेगा।

4– निदेशक उच्च शिक्षा कार्यदाई संस्था को धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व कार्यदाई संस्था से एक सप्ताह में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि के विरुद्ध एकेडिमिक रिक्वायरमेंट के अनुरुप समय सारणी अनुसार कार्य पूर्ण करने

.....2/

की लिखित सहमति प्राप्त कर लेंगें। यदि लिखित समयावधि के अन्तर्गत कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तो, एक माह का ग्रेस पीरियड देते हुये कार्यदाई संस्था से 5 प्रतिशत आर्थिक जुर्माना वसूला जायेगा। तीन माह से अधिक विलम्ब होने पर कार्यदाई संस्था को काली सूची में सम्मिलित करने हेतु कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

5– तृतीय पक्ष गुणवत्ता (Third party quality) सुपरविजन तथा अनुश्रवण की व्यवस्था सी0बी0आर0आई0 रुडकी से सुनिश्चित कर ली जाय, परन्तु निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें पूर्ण की जानी होंगी। इसका व्यय कार्यदायी संस्था को देय चार्जेज (Centage) से किया जायेगा। तृतीय पक्ष गुणवत्ता की विस्तृत सूचना उपलब्ध होने पर अंतिम अवशेष किस्त का भुगतान किया जायेगा।

6– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक की अनुदान सं0 11 के आयोजनागत पक्ष के अधीन लेखा शीर्षक–4202–शिक्षा खेल कूद तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय–01–सामान्य शिक्षा–203–विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा–आयोजनागत–07–राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षण कक्ष/पुस्तकालय आदि के भवन निर्माण–24–बृहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

7– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–373/(p)/xxvii(3)/2011 दिनांक 29 दिसम्बर, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(उत्पल कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव

सं0 01 (1)/xxiv(7)50(2)/2008 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून ।
2– आयुक्त गढवाल मण्डल पौडी।
3– जिलाधिकारी चमोली।
4– कोषाधिकारी हल्द्वानी–नैनीताल।
5– प्ररियोजना अधिकारी उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम इकाई श्रीनगर गढवाल।
6– प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय कर्णप्रयाग चमोली।
7– निदेशक एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड।
8– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन सचिवालय देहरादून।
9– वित्त अनु0–3/नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
10–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(वेदीराम)
अनु सचिव